

मध्यप्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय वल्लभ, भोपाल

भोपाल दिनांक 3 अगस्त, 2017


// आदेश //

क्रमांक/ए. 44-18/2017/20-2 विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.5.2017 के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त परीक्षार्थी जिन्होंने "रुक जाना नहीं योजना" के प्रथम चरण हेतु आवेदन किया है, उन्हें वर्तमान सत्र में प्रदेश के शासकीय/अशासकीय विद्यालय में बगैर कोई शुल्क लिए प्रावर्धिक (प्रोविजनल) प्रवेश दिया जावे।

2/ प्रथम चरण में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय निर्धारित शुल्क के साथ नियमित प्रवेश देंगे।

3/ द्वितीय चरण में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी आगामी शैक्षणिक सत्र में ही कक्षा 11 वीं में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(प्रमोद सिंह) 31/8/17  
उप सचिव


म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक/ए. 44-18/2017/20-2,

भोपाल दिनांक 3 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/माननीय राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
  - 2 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
  - 3 आयुक्त, लोक शिक्षण/ संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
  - 5 सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 4 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
  - 5 संभागीय संयुक्त संचालक/संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास विभाग समस्त संभाग म0प्र0
  - 7 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
  - 8 समस्त प्राचार्य शासकीय/ अशासकीय विद्यालय, म0प्र0।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव 31/8/17

मप शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,

// लेखीराम //

03082017